



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु (चूरु)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—। आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2019/02

दर्ज दिनांक : 08.05.2019

- रणजीत सिंह दत्तक पुत्र श्री मालसिंह उर्फ मालुसिंह जाति राजपूत निवासी श्योदानपुरा तहसील व जिला चूरु (राज.)

—अपीलांत—

बनाम

- ग्राम पंचायत घांघू तहसील व जिला चूरु जरिये सरपंच।
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरु।
- दुर्गेश कंवर पुत्री मालसिंह पत्नि महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी हमीरी तहसील व जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट—

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:—श्री धन्नाराम सैनी
अप्रार्थीगण:—एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 75
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

निर्णय दिनांक : 08.05.2026


- आज यह पत्रावली अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि अपीलार्थी रणजीतसिंह ने अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1216/943 एवं 938, कुल तादादी 3.6548 हैक्टेयर, रोही ग्राम बास जैसेका ग्रामपंचायत घांघू के संबंध में पारित आदेश/नामांतरण संख्या 330 दिनांक 20.04.2012 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी का तर्क है कि भूमि स्व अर्जित है। वह उक्त भूमि का विधिक वारिस है और ग्राम पंचायत ने उसे बिना सुने त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है। उक्त आदेश को निरस्त किया जकार मुताबिक वसीयत दिनांक 28.04.2001 के आधार पर व अपीलान्त के कब्जा, अधिकार अनुसार अपीलान्त के पक्ष में नामान्तरण दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।
- प्रार्थना-पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या की ओर से अधिवक्ता श्री भीमसिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया।
- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थना-पत्र पेश किया जिसे अपीलार्थी ने अर्जित भूमि दादालाई होना बताया है दादालाई भूमि साबित बाबत दस्तावेजात पेश किये हैं जिनको अपीलार्थी पर लिया जाना आवश्यक है और दादालाई भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है।

4. पत्रावली में अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट के अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलान्ट की एकपक्षीय सीधे बहस सुनी गई।
- अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि यह अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत दिनांक 28.04.2001 को की गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1216/943 एवं 938 (कुल रकबा 3.6548 हैक्टेयर), रोही ग्राम बास जैसेका, घांघू का वास्तविक उत्तराधिकारी एवं काबिज काश्तकार है। यह भूमि अपीलार्थी के पूर्वजों की पैतृक संपत्ति है, जिस पर अपीलार्थी का विधिक अधिकार जन्मजात है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित विवादित आदेश पूर्णतः गैर-कानूनी एवं विधिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। ग्राम पंचायत ने बिना किसी ठोस आधार के और बिना रिकॉर्ड का सही विश्लेषण किए एकपक्षीय रूप से आदेश जारी किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। विवादित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। यदि इस स्तर पर ग्राम पंचायत के आदेश के क्रियान्वयन को रोका नहीं गया, तो प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर कर सकते हैं या भूमि की स्थिति बदल सकते हैं। इससे अपीलार्थी को ऐसी विधिक व आर्थिक क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में संभव नहीं होगी। अतः अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. मैंने प्रकरण अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस दिये गये तर्क, उपलब्ध दस्तावेजों तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
- वसीयत की प्राथमिकता और अनदेखी : पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट रणजीत सिंह के पक्ष में स्व. मालसिंह द्वारा दिनांक 28.04.2001 को एक पंजीकृत वसीयत निष्पादित की गई थी। इस वसीयत में स्पष्ट रूप से अंकित है कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी समस्त चल-अचल संपत्ति का एकमात्र मालिक उनका दत्तक पुत्र रणजीत सिंह होगा। अधीनस्थ ग्राम पंचायत घांघू ने दिनांक 20.04.2012 को नामान्तरकरण संख्या 330 तस्दीक करते समय इस महत्वपूर्ण पंजीकृत दस्तावेज की पूर्णतः अनदेखी की और केवल कुर्सीनामा के आधार पर विरासत दर्ज कर दी।
 - स्व-अर्जित संपत्ति बनाम पैतृक संपत्ति का विवाद : रेस्पोजेण्ट्स की ओर से यह तर्क दिया गया कि विवादित भूमि दादालाई (पैतृक) है और मालसिंह को इसकी वसीयत करने का अधिकार नहीं था। इसके विपरीत, अपीलान्ट ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर दावा किया है कि यह भूमि मालसिंह की स्व-अर्जित संपत्ति थी। इस कानूनी बिंदु का निर्धारण कि संपत्ति की प्रकृति क्या है, विस्तृत साक्ष्य और राजस्व रिकॉर्ड के सूक्ष्म परीक्षण के बिना संभव नहीं है।
 - प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन: अपीलान्ट का यह कथन विचारणीय है कि उन्हें नामान्तरकरण की कार्यवाही की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई और उनके जयपुर प्रवास का लाभ उठाकर विरासत दर्ज कर ली गई। न्याय का मूलभूत सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाले आदेश से पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना आवश्यक है।
 - दत्तक ग्रहण की वैधता: पत्रावली में दिनांक 20.01.1986 का एक गोद-नामा भी संलग्न है, जिससे अपीलान्ट का मालसिंह के दत्तक पुत्र होने का विधिक आधार सुदृढ़ होता है।
 - विस्तृत जांच की आवश्यकता: चूंकि मामला पंजीकृत वसीयत की सत्यता, गोद-नामे की वैधता और संपत्ति के स्वरूप से संबंधित है, अतः अधीनस्थ राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) द्वारा रिकॉर्ड के आधार पर गहन जांच किया जाना न्यायसंगत है।
6. उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक विवेचना के आधार पर यह न्यायालय निम्नलिखित आदेश पारित करता है :-

आदेश दिया जाता है कि

प्रार्थी/अपीलांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 उपर्युक्त कारणों के आधार पर स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत घांघू द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 330, दिनांक 20.04.2012 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण को तहसीलदार, चूरू को रिमांड किया जाता है। तहसीलदार चूरू उभय पक्षों को सुनवाई अवसर प्रदान करते हुए राजस्व विधि के अनुसार गुण-दोष के आधार पर नवीन आदेश पारित करें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।


(सुनील कुमार- I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)